"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2023—वैशाख 8, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2023

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 से 09 दिसम्बर 2022 तक (03 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 तथा 11 दिसम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2023

क्रमांक एफ 7-6/2018/38-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कंडिका 23 (एक-अ) (संशोधित अधिनियम 2005) के प्रावधानानुसार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 617/वि.स./विधान/2022 दिनांक 26-12-2022 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित पांच माननीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री मोहित राम	**स्थायी निवास का पता :—** ग्राम-पोलमी, पो.-सिल्ली, तह.-पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) **स्थानीय निवास का पता :—** मं. नं.-201 आदित्य हाईट्स, एम.एम.सी. हॉस्पिटल, अशोका रतन के पास, वी.आई.पी. रोड, रायपुर, (छ.ग.), मोबाइल नं.-9827180954.
2.	डॉ. के. के. ध्रुव	**स्थायी निवास का पता :—** द्वारा कंपोटर चन्द्रा बीएसएनएल टॉवर के पीछे, ग्राम-कुम्हारी पोस्ट व तहसील-मरवाही, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.). **स्थानीय निवास का पता :—** द्वारा श्री मनोज कुमार साहू, दंतेश्वरी मंदिर के पीछे डंगनिया, रायपुर (छ.ग.). मोबाईल नं.-9424151283.
3.	श्री पून्नूलाल मोहले	**स्थायी निवास का पता :—** ग्राम व पोस्ट-दशरंगपुर, जिला-मुंगेली **स्थानीय निवास का पता :—** सी-1, राजातालाब फॉरेस्ट कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.). मोबाईल नं.-9425219600.
4.	श्री शैलेश पाण्डेय	**स्थायी निवास का पता :—** ई एक्स-8 आसमां कॉलोनी, सकरी, तह.-तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.). **स्थानीय निवास का पता :—** द्वारा श्री एस. के. बाजपेई, बालाजी मंदिर के पास, आनंद नगर, रायपुर, मोबाईल नं.-6269306666.
5.	श्री सौरभ सिंह	**स्थायी निवास का पता :—** पुरानी बस्ती, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा, (छ.ग.). **स्थानीय निवास का पता :—** फ्लैट नं.-404, नेचुरा बिल्डिंग, दलदल सिवनी मोवा, रायपुर (छ.ग.). मोबाईल नं.-9425530745, 9165612345.

माननीय सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 23(2) में दिये गये प्रावधानानुसार तीन वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. खान, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मार्च 2023

क्रमांक एफ 7-30/2018/32.—शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क उपधारा (1) (क) अन्तर्गत कवर्धा विकास योजना 2021 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

कवर्धा विकास योजना 2021 में उपांतरण

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (वर्गमीटर में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क(क) एवं (2) के तहत् उपांतरण (6)
1.	कवर्धा प.ह.नं.-18	शीट क्रमांक-06, भूखण्ड क्रमांक-25, खसरा क्रमांक-110	7517 में से 1519 वर्गमीटर	अमोद-प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
			7517 में से 12×31 = 372	अमोद-प्रमोद	मार्ग

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण कवर्धा विकास योजना 2021 में मुस्लिम समाज के ईदगाह विस्तार हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कवर्धा विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कवर्धा विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-6/2023/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत इंदौरी, जिला-कबीरधाम गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

नगर पंचायत इंदौरी की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	ग्राम पंचायत इंदौरी	5649

अनुसूची-2

नगर पंचायत इंदौरी की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है :—

ग्राम पंचायत इंदौरी की सीमाएं ही नगर पंचायत इंदौरी की सीमाएं होंगी.

अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-कबीरधाम को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-6/2023/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2023/18 दिनांक 06-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 6th April 2023

No. F 1-6/2023/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intent to Constitute Gram Panchayat Indouri as Nagar Panchayat Indouri in Districk-Kabirdham as per the Schedule given below :—

Schedule-1

The particulars of areas of Gram panchayat to be included in the limits of Nagar Panchayat Indouri is as under :—

S. No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Gram panchayat Indouri	5649

Schedule-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Indouri is as under :—

The Boundaries of the Nagar Panchayat Indouri shall be the boundaries of Gram Panchayat Indouri.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District-Kabirdham on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2023

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्र. क्रमांक/659/4/अ-82/2021-22.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	बानाबेल	0.998	बानाबेल जलाशय योजना माईनर नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 24-04-2023 को (समय) 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम बानाबेल पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बानाबेल जलाशय योजना माईनर नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	बानाबेल जलाशय योजना माईनर नहर निर्माण हेतु.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	19.68 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2023

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/653/भू-अर्जन/2023.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	झिंगटपुर	3.297	नवागांव व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु (मुख्य एवं माईनर)

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 28-04-2023 को (समय) 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम झिंगटपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नवागांव व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु (मुख्य एवं माईनर)
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	नवागांव व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु (मुख्य एवं माईनर)
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	65.12 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2023

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/655/भू-अर्जन/2023.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	केन्दा	4.184	केन्दा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 26-04-2023 को (समय) 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन केन्दा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	केन्दा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	25
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां-उल्लेखित भूमि पर केन्दा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण किया जाना है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	20 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-मोहला मानपुर अं. चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला मानपुर अं. चौकी, दिनांक 14 मार्च 2023

क्रमांक/1024/भू-अर्जन/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी
- (ख) तहसील-मोहला
- (ग) नगर/ग्राम-बागदो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.196 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	62	0.016
	65	0.028
	66	0.020
	95	0.020
	96	0.016
	97	0.012
	361	0.016
	78/1	0.020
	78/7	0.024
	78/10	0.020
	88/1	0.004
योग	11	0.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ककईपार-बागदो मार्ग पर स्थित खरखरा नदी पर उच्च स्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

मोहला मानपुर अं. चौकी, दिनांक 14 मार्च 2023

क्रमांक/1025/भू-अर्जन/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-पांगरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.478 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	77/1, 78/1, 79/1	0.069
	103	0.004
	105	0.081
	104	0.097
	106	0.041
	116/1	0.053
	116/3	0.036
	116/6	0.008
	116/7	0.089
योग	09	0.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम पांगरी से अं. चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिला घाट) पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

मोहला मानपुर अं. चौकी, दिनांक 14 मार्च 2023

क्रमांक/1026/भू-अर्जन/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-बरारमुंडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.403 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16	0.036
	17	0.036
	27/1	0.170
	27/2	0.161
योग	04	0.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नांदिया-बरारमुंडी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. जयवर्धन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक/04/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमदला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.445 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	877/3	0.445
योग	01	0.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदगी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 20 फरवरी 2023

रा.प्र.क्रमांक 202106032100034/03/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-मसगामारा (खारीबहार)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.181 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	49/1	0.316
	66/1	0.202
	67	0.251
	63	0.020
	64	0.222
	65	0.170
योग	06	1.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समडमा एनीकट योजना के दाए तट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), फरसाबहार के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 फरवरी 2023

रा.प्र.क्रमांक 202106032100035/02/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-लवाकेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/7	0.170
	3/9	0.093
	5	0.117
	6/4	0.097
योग	04	0.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समडमा एनीकट योजना के बाएं तट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), फरसाबहार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन, बीज भवन, जी.ई.रोड तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2023

क्रमांक बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/9448.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (2) के अंतर्गत संचालक में विहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पूर्व में कृषि उपज मंडी समिति चांपा जिला-जांजगीर चांपा हेतु गठित भारसाधक समिति को अतिष्ठित करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति चांपा जिला-जांजगीर चांपा की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करती हूं :—

1.	श्रीमती रत्ना सिंह, पति श्री गुलजार सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री बलराम राठौर, पिता श्री परसराम राठौर	उपाध्यक्ष
3.	श्री रामदास वैष्णव, पिता श्री हनुमान दास वैष्णव	सदस्य
4.	श्री कार्तिक राम पटेल, पिता श्री झड़ीराम पटेल	सदस्य
5.	श्री सनत कुमार तिवारी, पिता श्री मथुरा प्रसाद तिवारी	सदस्य
6.	श्री बेदराम कश्यप, पिता श्री ननकीराम कश्यप	सदस्य
7.	श्री मेलाराम साहू, पिता श्री सिताराम साहू	सदस्य

रानू साहू,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 01/L.G./2023/II-2-25/2016.—Shri Arvind Kumar Sinha, District & Sessions Judge, Mungeli is hereby, granted commuted leave for 02 days from 28-11-2022 to 29-11-2022 along with permission to remain out of head-quarters from 11.00 a.m. of 28-11-2022 till the night of 29-11-2022.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sinha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 95 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 02/L.G./2023/II-3-23/2010.—Shri Shailesh Kumar Tiwari, Special Judge (Atrocities), Durg is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2022 to 31-12-2022 with summer vacation along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 24-12-2022 till before the office hours of 02-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 03/L.G./2023/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, Judge, Family Court, Baloda-Bazar is hereby, granted eanred leave for 12 days form 31-12-2022 to 11-01-2023 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 04/L.G./2023/II-3-11/2014.—Shri Vijay Kumar Ekka, District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 12 days from 31-12-2022 to 11-01-2023 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 296 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 05/L.G./2023/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 21-12-2022 to 24-12-2022 along with permission to leave headquarters from 21-12-2022 to 01-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 06/L.G./2023/II-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days from 14-11-2022 to 15-11-2022 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 12-11-2022 till the morning of 16-11-2022 and earned leave for 07 days from 06-12-2022 to 12-12-2022 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 188 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 07/L.G./2023/II-2-6/2022.—Shri Vivek Kumar Tiwari, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 28-12-2022 to 31-12-2022 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 to 01-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 08/L.G./2023/II-3-26/2014.—Shri Sirajuddin Qureshi, District & Sessions Judge, Balrampur at Ramanujganj is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2022 to 31-12-2022 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 26-12-2022 to 01-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 221 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 09/L.G./2023/II-3-30/2008.—Shri Mohd. Rizwan Khan, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 03 days from 27-10-2022 to 29-10-2022 along with permission to remain out of headquarters from 22-10-2022 to 30-10-2022, commuted leave for 25 days from 02-11-2022 to 26-11-2022 and earned leave for 07 days from 25-12-2022 to 31-12-2022 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 23-12-2022 to 31-12-2022.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Khan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave and 148 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 10/L.G./2023/II-3-14/2008.—Shri K. L. Charyani, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 04 days from 05-09-2022 to 08-09-2022 along with permission to leave headquarters from 04-09-2022 to 08-09-2022, earned leave for 04 days from 21-09-2022 to 24-09-2022 along with permission to leave headquarters from 21-09-2022 to 24-09-2022, earned leave for 04 days from 28-11-2022 to 01-12-2022 along with permission to leave headquarters from the evening of 26-11-2022 till the morning of 02-12-2022 and earned leave for 08 days from 24-12-2022 to 31-12-2022 along with permission to leave headquarters from 24-12-2022 till the evening of 01-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Charyani, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 249 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 11/L.G./2023/II-2-18/2022.—Shri Srinarayan Singh, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 01 day on 31-12-2022 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 till before the Court hours of 02-01-2023 and eanred leave for 04 days from 17-01-2023 to 20-01-2023 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 17-01-2023 till the evening of 22-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 31st January 2023

No. 12/L.G./2023/II-2-5/2015.—Shri Maneesh Kumar Thakur, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 23-01-2023 to 28-01-2023 along with permission to remain out of headquarters from 21-01-2023 to 29-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Thakur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)